न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 99/2012/223 आर टी ए

साहबराम पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. भीमसैन पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. अमर ज्योति पुत्री शंकरलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. शिमला पत्नि शंकरलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. सुरेन्द्र पुत्र बोगाराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. मनोहरी पुत्री बोगाराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. मैनी पुत्री बोगाराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. सरोज पुत्री बोगाराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
8. सेतू पुत्री बोगाराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
9. दुलीचन्द पुत्र रामरख जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
10. देवीलाल पुत्र लाधूराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
11. कृष्ण पुत्र रामजस पुत्र लाधूराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
12. साहबराम पुत्र रामरख पुत्र लाधूराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
13. जमनी पुत्री लाधूराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
14. जेठाराम पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
15. मन्नी पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
16. सोहनलाल पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
17. भागीरथ पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18. सरस्वती पुत्री हरचंद जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
19. महेन्द्र पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
20. राजेन्द्र पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
21. शोभा पुत्री जोतराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
22. सुलोचना पुत्री जोतराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
23. सरस्वती पुत्री जोतराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
24. सन्तोष पुत्री जोतराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
25. गोदां देवी पुत्री जोतराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
26. भादर चंद पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
27. सुभाष पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व संगरिया।

——रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 09.04.2012 व डिक्री दिनांक 11.04.2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया प्र0सं. 74/07 अनवानी भीमसैन आदि बनाम सुरेन्द्र आदि

उपस्थित :–

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता अपीलांट

श्री राजेश रोकणा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 16

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 28

निर्णय दिनांकः–21.05.2018

1. प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंट सं. 1 ता 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए पेश किया। अपीलांट/प्रतिवादी सं. 23 ने जवाबदावा मय काउंटर क्लेम पेश कर रेस्पो. सं. 1 ता 3 के द्वारा कब्जा काश्त मे दर्शाइ गई भूमि का खण्डन किया। तदोपरांत अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार संगरिया से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। दौराने बहस वादीगण व प्रतिवादी सं. 23 के अभिभाषक ने वादपत्र व काउंटर क्लेम प्रतिवादी सं. 23 अनुसार डिक्री करने की सहमति दी। बाद बहस अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण मानकर वादपत्र एवं कांउटर क्लेम प्रतिवादी सं. 23 खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्र विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय मे दावा बाबत घोषणा व खाता तकसीम का मुताबिक घरूबंटवारा मे प्राप्त भूमि की अलग से अपने नाम अंकित करवाने की घोषणा चाही थी तथा अपीलांट/प्रतिवादी सं. 23 द्वारा कांउटर क्लेम के अनुसार भूमि अलग से अपने नाम अंकित करवाने की घोषणा चाही थी। दावा प्राथमिक डिक्री होने के उपरांत तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव अपीलांट व अन्य सहकाश्तकारान का हिस्सा अनुसार व कब्जा काश्त अनुसार भिजवाया गया जिसमे किसी पक्षकार ने कोई विरोध नही किया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के काउंटर क्लेम को निरस्त करने मे अहम कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय मे दावा व काउंटर क्लेम मुताबिक घरूबंटवारा घोषणा का था जिसमे संबंधित भू–अभिलेख व सभी रिकार्डेड खातेदार को पक्षकार बनाया गया था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किया जाकर अपीलांट के काउंटर क्लेम को स्वीकार किया जावें।

4. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट ने कथन किया कि वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय मे दावा बाबत घोषणा व खाता तकसीम का मुताबिक घरूबंटवारा मे प्राप्त भूमि की अलग से अपने नाम अंकित करवाने की घोषणा चाही थी तथा अपीलांट/प्रतिवादी सं. 23 द्वारा कांउटर क्लेम के अनुसार भूमि अलग से अपने नाम अंकित करवाने की घोषणा चाही थी। दावा प्राथमिक डिक्री होने के उपरांत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव अपीलांट व अन्य सहकाश्तकारान का हिस्सा अनुसार व कब्जा काश्त अनुसार भिजवाया गया जिसमे किसी पक्षकार ने कोई विरोध नही किया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के काउंटर क्लेम को निरस्त करने मे अहम कानूनी भूल की है।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मे उल्लेखित किया गया है कि ''त्रुटिपूर्ण खाता विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने से वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी सं. 23 का काउंटर क्लेम खारिज किया जाता है।'' तहसीलदार संगरिया द्वारा अपने विभाजन प्रस्ताव मे यह उल्लेखित किया गया है कि चक 9 एसबीएन के खाता सं. 90/78 मे सावता वल्द खुमाना व लाधु वल्द श्रीराम की इस खाते मे क्रमशः 0.139 व 14.303 हिस्से दर्ज है परन्तु इस चक मे कुल खाते का योग 14. 422 है0 तथा हिस्से जोड़ने पर 28.745 है0 बनते है। सावता व लाधु दोनो फौत हो चुके है इनके वारिसों कि चक 9 एसबीएन मे भूमि नही है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा प्रस्तुत है। इस प्रकार तहसीलदार संगरिया द्वारा वादपत्र मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण का कब्जा अनुसार विभाजन प्रस्ताव तो भिजवाया गया परन्तु रिकार्ड मे त्रुटि होने के तथ्य को भी अंकित किया गया जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र एवं काउंटर क्लेम प्रतिवादी खारिज किया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन के वाद मे राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना मे तहसीलदार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए था तथा रिकार्ड संबंधी कार्यवाही करते हुए पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर तदोपरांत निर्णय पारित किया जाना आपेक्षित है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.04.2012 व डिक्री दिनांक 11.04.2012 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत वादग्रस्त भूमि से संबंधित रिकार्ड संबंधी कार्यवाही करते हुए उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 मे विहित प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन हेतु अन्तिम डिक्री पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानो के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 21.06.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official